

दिनांक

आदेश

अभ्युक्ति

13<sup>08</sup>/<sub>19</sub>

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (1)श्री लादुरा सावैर्यो, पिता- स्व0 सतारी सावैर्यो,(2) श्री बिरसिंह सावैर्यो, पिता- स्व0 गारदी सावैर्यो, दोनों का ग्राम- गितिलपी, टोली- किडीगोट, थाना- मुफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- गितिलपी, थाना न0 - 580, खाता न0- 50, प्लॉट न0- 364, रकवा- 0.06<sup>3</sup>/<sub>4</sub> एकड़ भूमि केता श्री लुकना बारी, पिता- स्व0 काली चरण बारी, ग्राम- खुन्टा, थाना- मुफसिल चाईबासा के पास बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। बिक्रेता भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादी के नाम पर मु0 सं0- 216(m)/2011-2012 द्वारा नामांतरित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 393, दिनांक 8.06. 2019 के द्वारा कुर्सीनामा तथा बिक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण उक्त भू-खण्ड को केता श्री लुकना बारी, पिता- स्व0 काली चरण बारी, ग्राम- खुन्टा, थाना- मुफसिल चाईबासा के पास 3,05,000.00/- (तीन लाख पाँच हजार) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं केता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा के द्वारा लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास अवशेष भूमि 3.50 एकड़ से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण - पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता(1)श्री लादुरा सावैर्यो, पिता- स्व0 सतारी सावैर्यो,(2) श्री बिरसिंह सावैर्यो, पिता- स्व0 गारदी सावैर्यो, दोनों का ग्राम- गितिलपी, टोली- किडीगोट, केता श्री लुकना बारी, पिता- स्व0 काली चरण बारी, ग्राम- खुन्टा थाना- मुफसिल के पास जमीन को कुल 3,05,000.00/- (तीन लाख पाँच हजार) में मौजा- गितिलपी, थाना न0 - 580, खाता न0- 50, प्लॉट न0- 364, रकवा- 0.06<sup>3</sup>/<sub>4</sub> एकड़ जमीन बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की..... स्वीकृति जाती है।

लेखापित

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।